

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.2.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रदीप जयसवाल पिता-बद्रीनारायण जयसवाल ग्राम+पो०-बलहा बाजार थाना-मानसी जिला-खगड़िया आर सी०नं०-67101	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	राज किशोर पोद्दार पिता-गौरी शंकर पोद्दार ग्राम-बरौनी-2 पो०-बरौनी डेवोढ़ी थाना-तेघड़ा जिला-बेगुसराय आर सी नं०-67125	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	रंधीर कुमार पिता-कमलेश ठाकुर ग्राम+पो०+थाना-सालीमपुर जिला-पटना आर सी० नं०-67063	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,50,000/-

2. उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) स्वीकृत। रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 849836 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी०" खाते का प्रकार-चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

विश्वासभाजन
ह0/-
(डा0 राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...879836...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 183 (14)

पटना, दिनांक - 12-2-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
11-02-15

सं० सं० 14/.एम 11-1/14

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार,पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

टाटा स्मारक अस्पताल,

परेल, मुम्बई ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 04.2.2015 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राजु कुमार अग्रवाल पिता-स्व. नन्द लाल प्र० अग्रवाल ग्राम-समोद पोस्ट-थाना-कोठी जिला-गया केस फाल नं०-सी.एल/21873	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	रवि कान्त पिता-कृष्ण मुरारी कुमार ग्राम-चैनपुरा पो०-दरियापुर चैनपुरा थाना-नौबतपुर जिला-पटना केस फाइल नं०-सी०एल०/13610	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	अशोक कुमार साह पिता-संतोष कुमार साह ग्राम-पो०-कुल्हड़ीया थाना-कोइलवर जिला-भोजपुर केस फाइल नं०-सी.एल/31448	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	विकास कुमार पिता-राज किशोर प्रसाद ग्राम-जानकी स्थान वार्ड नं०-2 पो०-जानकी स्थान थाना+जिला सीतामढ़ी केस नं०-सीएच/16505	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,00,000/- (एक लाख)

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रूपया का क्रास चेक सं०... 847837
मूल रूप में संलग्न है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन
 HO /-
 (डा० राजधारी रंजन)
 निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 184 (14)

पटना, दिनांक - 12-2-15

प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)

निदेशक प्रमुख
 11-02-15

सं० सं० 14/एम 11-1/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सर सुन्दर लाल हॉस्पिटल,
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी,
वाराणसी।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 4.2.15 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	देव कुमारी देवी पति-शिव बहाल सिंह ग्राम-पो०-बसडीला थाना-जलालपुर जिला-सारण, छपरा हौस्पिटल नं०-7430/14	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	राम इकबाल राम पिता-अकलु राम ग्राम-बेला पोस्ट-मीरपुर थाना-चीरैया जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-10902/14	न्यूरो रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	लीलावती देवी पति-श्याम सुन्दर राम ग्राम-विलासपुर जैसवारी टोला पो०-हरिनगर थाना-रामनगर जिला-प० चम्पारण हौस्पिटल नं०-814/14	कैंसर रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	शंभु यादव पिता-स्व. रामधनी यादव ग्राम-परवतीया टोला पो०-बेलबाग बेतिया थाना-मुफसिल जिला-प० चम्पारण हौस्पिटल नं०-11116	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।

5	रूबी देवी पति-राम अवधेश राय ग्राम-गोडारी पोस्ट+थाना-दावथ जिला-रोहतास हौस्पिटल नं0-2565 / 14	कैंसर रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
6	अस्तुरना देवी पति-हरेश्वर सिंह ग्राम-कुरसा पोस्ट-डोयीयां थाना-दिनारा जिला-रोहतास हौस्पिटल नं0-1100 / 14	कैंसर रोग	दूसरी बार ₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,80,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000/- (एक लाख अस्सी हजार) रुपये का क्रास चेक सं0.....849839.....मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।


विश्वासभाजन
ह0/-

(डा0 राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक -12-2-15

ज्ञापांक -186 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
11-02-15

